District Rural Development Agency, Hazaribagh (Jharkhand)
Status Report of Social Audit Progamme 2011

Sl. No.	Name of District	Total No.GPs	No. of GPs where Social Audit is completed	No. of GPs where Social Audit is in Process	No. of GPs where Social Audit not not started	Important deviation noted	Details of Action taken or contemplated
1	Hazaribagh	257	257	0	0	0	0

Deputy Development Commissioner
Hazaribagh

जिला स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण सम्बन्धी जन सुनवाई

दिनांक 17.8.2011को जन सुनवाई में प्राप्त शिकायत एवं सुझाव पर कार्रवाई प्रतिवेदन।

क्र0	समाजिक अंकेक्षण समिति का प्रतिवेदन	प्रखण्ड स्तरीय जन सुनवाई में उठाये गये विन्दु	जिला स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई
1	निबंधन एवं जॉब कार्ड	संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया/पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा ग्राम रोजगार सेवक को इच्छुक श्रमिको को जॉब कार्ड हेतु आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्धारित अवधि में जॉब कार्ड निर्गत करने का अनुरोध किया गया।	मनरेगा मार्गदर्शिका में स्पष्ट उल्लेख है कि जॉब कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पर जाँचोंपरांत 15 दिनों के अन्दर जॉब कार्ड निर्गत कर देना है। किसी प्रखण्ड से आवेदन के विरूद्ध जॉब कार्ड निर्गत नहीं करने का शिकायत अप्राप्त है।
2	कार्य आवेदन/आवंटन	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् मजदूरों को कार्य आवंटित करने का अनुरोध किया गया।	मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्य आवंटित किया जाता है।
3	मजदूरी भुगतान/बेरोजगारी भत्ता	ड्राफ्ट से भुगतान होने पर मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया लम्बी हो जा रही है।	ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 3790 दि0 15.6.11 जिसे अभिकरण के ज्ञापांक 1013 दि0 16.6.11 से संसूचित किया गया हैं, के अनुसार बैंक ड्राफ्ट माध्यम से भुगतान का निदेश है। किसी भी प्रखण्ड से मजदूरी विलम्ब से भुगतान होने की शिकायत अप्राप्त है और न ही कहीं से बेरोजगारी भत्ता का मांग प्राप्त है।
4	कार्य चयन, क्रियान्वयन एवं निगरानी	टाटीझरिया प्रखण्ड में यह मामला उठाया गया कि योजना कार्यान्वयन में पंचायत / प्रखण्ड में उपलब्ध राशि का ध्यान नहीं रखा जाता है एवं उपलब्ध राशि से बहुत अधिक की योजना प्रारम्भ कर दी जाती है।	पूर्व में भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि पंचायत / प्रखण्ड में राशि उपलब्धता के अनुसार ही योजना प्रारम्भ कराया जाय ताकि कार्यान्वित योजना को पूर्ण करने में राशि की कमी महसूस न हो।
5	कार्य स्थल पर सुविधाएँ	अंकेक्षण दल द्वारा कार्य स्थल पर सुविधा उपलब्ध नहीं होने संबंधी विन्दु उठाया गया।	सभी योजनाओं के प्राक्कलन में कार्य स्थल पर देय सुविधा यथा पेयजल व्यवस्था, विश्राम स्थल की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार व्यवस्था हेतु आकस्मिकता मद से राशि की व्यवस्था की जाती है।

			सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को पुनः निदेश दिया गया कि कार्य स्थल पर सभी व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे।
6	पारदर्शिता	योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता	योजना का चयन भी ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है तथा कार्यान्वयन के लिए भी ग्राम सभा आयोजित कर निगरानी समिति के सदस्यों का चयन किया जाता है ताकि योजना में पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही साथ सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा योजना का मस्टर रॉल, अभिश्रव, योजना की उपयोगिता इत्यादि की जाँच की जाती है। सभी प्रखण्डों को एक-एक वरीय प्रभारी पदाधिकारी को आवंटित किया गया है तथा उन्हें मासिक प्रतिवेदन जाँचोपरांत देने का निदेश दिया गया है।
7	दुर्घटना, मृत्यु आदि		योजना कार्यान्वयन के क्रम में घटित दुर्घटना में मजदूरों के मृत्यु पर 75,000/- रूपये एक्सग्रेसिया का प्रावधान है तथा गम्भीर चोट, अंग भंग इत्यादि होने पर 37,500/- रूपये का प्रावधान किया गया है। पूर्व में यह राशि क्रमशः 25,000/- एवं 10,000/- रूपये था।
8	मेट/रोजगार सेवक संबंधी		सभी पंचायतों के लिए ग्राम रोजगार सेवक की नियुक्ति की गयी है तथा सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक पंचायत में कम से कम 5 मेट चयनित है।
9	अन्यान्य – प्राप्त सुझाव		
	निर्धारित 100 दिन रोजगार के स्थान पर 300 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाय।	प्रखण्ड स्तरीय जन सुनवाई के क्रम में यह सुझाव दिया गया कि 100 दिन रोजगार के स्थान पर 300 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाय	इस सम्बन्ध में दिनांक 09.9.2011 को आयोजित राज्य स्तरीय जन सुनवाई में इस प्रस्ताव को रखने का निर्णय लिया गया।
	मजदूरी का दर बढ़ाया जाय।	प्रखण्ड स्तरीय जन सुनवाई में बताया गया कि स्थानीय स्तर पर अकुशल मजदूरों का प्रचलित मजदूरी 150/- से 160/- रू0 प्रतिदिन है। जबकि मनरेगा अन्तर्गत मात्र 120/- रू0 मजदूरी देय है, जिसे बढ़ाकर कम	इस सम्बन्ध में दिनांक 09.9.2011 को आयोजित राज्य स्तरीय जन सुनवाई में इस प्रस्ताव को रखने का निर्णय लिया गया।

		से कम 150/- रूपये का सुझाव दिया गया। साथ ही कुशल मजदूरों के मजदूरी में भी बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया।	
	तालाब की खुदाई में 5 फीट के बाद मशीन से काम कराने की अनुमति।	ईचाक प्रखण्ड से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि तालाब की 15 फीट गहराई मजदूर द्वारा कराना सम्भव नहीं होता है, जिसके कारण योजना में काफी विलम्ब हो जाता है। अनुरोध किया गया कि तालाब की 5 फीट खुदाई के पश्चात् मशीन से खुदाई कराने की स्वीकृति प्रदान की जाय।	इस सम्बन्ध में दिनांक 09.9.2011 को आयोजित राज्य स्तरीय जन सुनवाई में इस प्रस्ताव को रखने का निर्णय लिया गया।
	वैसे जॉबकार्ड धारी जो जॉब कार्ड बनाने के पश्चात् एक दिन भी कार्य नहीं किये हैं या उनके द्वारा काम की माँग नहीं की गयी है, के जॉब कार्ड रदद् करने की अनुमति की माँग की गयी।	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दारु एवं बरही द्वारा बताया गया कि जॉबकार्ड सत्यापन के क्रम में पता चला है कि बहुत से जॉबकार्ड धारी सिर्फ जॉबकार्ड बनवा लिये हैं। परन्तु उनके द्वारा न तो कभी काम की माँग की गयी है और न ही काम आवंटन पर उनके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके कारण अधिक संख्या में जॉबकार्ड धारी होने के बाद भी मजदूरों की कमी महसूस होती है। उनके द्वारा वैसे जॉबकार्ड धारी का निबंधन रदद् करने का अनुरोध किया गया।	पूर्व से निर्गत जॉबकार्ड का निबंधन रदद करने का कोई प्रक्रिया/निदेश मार्गदर्शिका में नहीं है। अतः दिनांक 09.9.2011 को आयोजित राज्य स्तरीय जन सुनवाई में इस विन्दु पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

उप विकास आयुक्त
हजारीबाग।